न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:- 54/2019
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:- 09.10.2025

1. बच्छूलाल पुत्र नाथूलाल जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. रामजीलाल
3. कन्हैयालाल
4. रामप्रसाद
5. रामेश्वर पुत्रान नाथूलाल जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
6. अयोध्या देवी
7. गोपाली देवी
8. गायत्री देवी पुत्रियॉं नाथूलाल जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
9. रामरतन पुत्र बोदू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
10. जानकी देवी पत्नि बोदू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
11. आशा पुत्री बोदू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
12. गुलाब देवी पत्नी कालू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
13. श्योजी पुत्र कालू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
14. रंगलाल पुत्र कालू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
15. बदाम देवी पुत्री कालू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
16. सीता देवी उर्फ कान्ता पुत्री कालू जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
17. लाला पुत्र रामगोपाल जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
18. नोरतन उर्फ रामकिशन पुत्र रामगोपाल जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रामदेय जाति बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. भैरू
3. बजरंग लाल
4. कैलाश
5. मोतीलाल पुत्रान बद्री जातियान बारागांव निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी

बाबूलाल बनाम रामसहाय वगै०
मुकदमा– 54/2019
निर्णय दिनांक– 09.10.2025

उपस्थित अधिवक्ता– श्री कृष्ण कुमार लखेरा वकील प्रार्थीगण
श्री रमेश चन्द पारीक वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय दिनांकः– 09.10.2025

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 155, 335, 355, 361, 556, 570, 576/1 कुल किता 07 कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 105 बीघा भूमि वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पैतृक आराजी के आधार पर पेश किया है एवं प्रार्थी ने निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात का पर्चा सैटलमेन्ट भूरा वल्द हरदेव, नाथूलाल वल्द रामजीवण हिस्सा 1/2, तीजा बेवा भागीरथ, फूला बेवा बाला, बरजी बेवा रामनारायण हिस्सा 2/3 व रामकरण वल्द रामसुख हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 के नाम से जारी हुआ था अर्थात विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तदानुसार काबिज है शेष हिस्सा विवादित नही है। केवल प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 व मृतक नारायण पुत्र रामदेव का हिस्सा विवादित है। दिनांक 18.06.2019 को अप्रार्थीगण ने राजीनामा प्रस्तुत करने से मना कर दिया व प्रार्थीगण के अधिकारों से इन्कार कर दिया दिनांक 22.06.2019 को जब प्रार्थीगण विवादित आराजीयात को जोत रहे थे तो अप्रार्थीगण ने झगडा किया व धमकी दी कि जमीन हमारे नाम से है हम ऐसे व्यक्ति को जमीन विकय करेगें जो हम अधिक पैसा देगा व कब्जा छीन लेगा। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया या जमीन का विकय कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थीगण प्रार्थीगण/वादीगण के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सहदायिका सम्पति को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान – ए – वाद उक्त आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतनामा हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द पारीक

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित भूमि विवादग्रस्त को सम्वत 2011 में दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने बेईमानी एवं बदनियती से वशीभूत होकर सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये ही प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र सुखदेव का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में से विलोपित करवा दिया, जिसका कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि सेटलमेन्ट कर्मचारी केवल मात्र पूर्व से चले आ रहें राजस्व इन्द्राज को ही यथावत रखे जाने के अधिकारी थे, लेकिन प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के हकपूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र सुखदेव का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में से विलोपित कर दिया, जिसका कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को लेस मात्र भी अधिकार नहीं था। दौराने बंदोबस्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों को पूर्व में अंकित राजस्व भू अभिलेखों को उसी अनुरूप अंकित किया जाना आवश्यक था, सेटलमेन्ट कर्मचारियों को किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार विलोपित करने का लेस मात्र भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद भी सेटलमेन्ट कर्मचारी केवल मात्र पूर्व राजस्व इन्द्राज को ही यथावत रखे जाने के स्थान पर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के हकपूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र सुखदेव का नाम राजस्व भू अभिलेखों में से विलोपित कर दिया, जिसका कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को लेस मात्र भी अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने सम्मत 2011 में उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर से बने वर्तमान खसरा नम्बरान् को पूर्व की भांति अंकित नहीं कर, वर्तमान खसरा नम्बरान को भूरा पुत्र हरदेव, नाथू पुत्र रामजीवण हिस्सा 1/2 तीजा बेवा भागीरथ, फुला बेवा बाला, बरजी बेवा रामनारायण हिस्सा 2/3 रामकरण पुत्र रामसुख हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 के नाम अंकित कर दिया गया जो राजस्व इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विधिक अधिकारों के विपरित प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी एवं प्रभाव शुन्य हैं, जिसकी दुरुस्ती नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 21.05.1961 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने उपस्थित होकर अपनी सहमति देते हुए स्वेच्छा से नामान्तकरण संख्या 35 तस्दीक करवाकर कालू, गोपाल पुत्र भूरा हिस्सा 1/8 नाथू पुत्र रामजीवण हिस्सा 1/8 एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

हकपूर्वाधिकारी का हिस्सा 1/4 दर्ज करता दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 अधिकारी है कि वह नवीन खसरा नं. 155 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा में हिस्सा 1/3, खसरा न. 335 रकबा 18 बीघा, खसरा नं. 355 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 361 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में हिस्सा 1/4 एवं खसरा नं. 556, रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 570 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 576/1 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा साढे तीन आना एवं खसरा नं. 1 रकबा 105 बीघा में हिस्सा 1/2 भूमि में अपने आप को तन्हा खातेदार घोषित फरमाया जावें। चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपनी खातेदारी खातेदारी की भूमि की भूमि मानते हुए भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप करने लगे हैं, इस कारण प्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी ऊपर वर्णित तथ्यों को छुपाते हुए गलत एवं निराधार तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं, जो विशेष मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य हैं ।

3\. प्रकरण मे उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 155, 335, 355, 361, 556, 570, 576/1 कुल किता 07 कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 105 बीघा भूमि वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर मे स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है।जब प्रार्थीगण विवादित आराजीयात को जोत रहे थे तो अप्रार्थीगण ने झगडा किया व धमकी दी कि जमीन हमारे नाम से है हम ऐसे व्यक्ति को जमीन विक्रय करेगें जो हम अधिक पैसा देगा व कब्जा छीन लेगा। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया या जमीन का विक्रय कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिये अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे अपने जवाब के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया की विवादग्रस्त को सम्वत 2011 में

उपखण्ड अधिकारी
फागी

दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने बेईमानी एवं बदनियती से वशीभूत होकर सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये ही प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र सुखदेव का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में से विलोपित करवा दिया, जिसका कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि सेटलमेन्ट कर्मचारी केवल मात्र पूर्व से चले आ रहें राजस्व इन्द्राज को ही यथावत रखे जाने के अधिकारी थे, लेकिन प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के हकपूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र सुखदेव का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में से विलोपित कर दिया, जिसका कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को लेस मात्र भी अधिकार नहीं था। दौराने बंदोबस्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों को पूर्व में अंकित राजस्व भू अभिलेखों को उसी अनुरूप अंकित किया जाना आवश्यक था, सेटलमेन्ट कर्मचारियों को किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार विलोपित करने का लेस मात्र भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

5 प्रकरण के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा – 212 के प्रावधान का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ – पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये कि:–

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही सम्बन्धित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संकान्त किये जाने का खतरा है या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुकम उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थाई व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

धारा 212 का विश्लेषण निम्ननुसार है।:–

इन उपचारों की मांग करने वाले प्रार्थी को निम्न दो शर्ते शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य में साबित करनी होंगी।

(क) विवादग्रस्त सम्पति को किसी पक्षकार द्वारा–

1. दुर्व्ययन करने
2. उसे नुकसान/हानि पहुँचाने
3. अन्य संकान्त किये जाने (अन्तरित करने) का भय या खतरा है, या

(ख) ऐसे विवाद का कोई पक्षकार, यदि उक्त सम्पति को न्याय के उदेश्यों को

उपखण्ड अधिकारी
फागी

विफल करने के अनुक्रम में–

1. हटाने (to remove) या
2. व्ययन करने (निपटाने (to dispose of) की 1. धमकी देता है या, 2. ऐसा आशय (नियत) रखता है।, 3. तो उपरोक्त (क) या (ख) में से वर्णित दो शर्तो में से किसी एक का प्रमाण होने पर।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्धाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 का नियम 1 उन मामलों का उल्लेख करता है जिनमे एक अस्थाई व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है। जब कि नियम 2 में संविदा – भंग की पुनरावृति या जारी रखना अवरूद्व करने (रोकने) के लिये व्यादेश स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है।

7. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रंकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 4 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्धाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 नियम 4 व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त (प्रभावहीन) उसमे फेरफार (परिवर्तन) या उसे अपास्त करने की व्यस्था करता है।

अस्थाई व्यादेश बाबत स्थापित सिद्वान्त

8. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम आदेश – 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान के उदेश्य को समझना उचित प्रतीत होता । इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIRONLINE 1990 SC 156 उनवान Wander Ltd. Anr.vs Antox india P. Ltd. मे दिनांक 26.04.1990 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के प्रावधान के उददेश्य के सम्बन्ध मे दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। अस्थाई व्यादेश के स्थापित सिद्वान्त निम्नानुसार है।–

अस्थाई व्यादेश देना या न देना तीन स्थापति सिद्वान्तों पर निर्भर करता है–

1. क्या प्रार्थी ने प्राथमिक दृष्ट्या मामला प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

2. क्या सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष मे है(अर्थात यदि व्यादेश नही किया जाता है तो अधिकत्तर असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को)

3. क्या प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित्त होगी। ये तीनों शर्ते संयुक्त रूप से पुरी होने पर ही प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है।

अस्थाई व्यादेश देने के लिए दशायें या परिस्थितियों (आदेश 39 नियम 1) – नियम 1 मे खण्ड (क), (ख) और (ग) में निम्नलिखित तीन परिस्थितियों या दशायें बताई गई है। जिनमे से किसी एक मे न्यायालय अस्थाई व्यादेश या ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा (जो अस्थाई आदेश के समान स्वरूप के होगे)

(क). वाद मे कोई सम्पति विवादग्रस्त है। उस सम्पति को किसी भी पक्षकार द्वारा उसका दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने, अन्य संकान्त करने का खतरा है। अथवा–

(ख). प्रतिवादी कपट से अपने लेनदारों (ऋणदाताओं) को वंचित करने के लिए अपनी सम्पति को हटाने, व्ययनित करने (निपटाने) की धमकी देता है या ऐसा आशय (इरादा) रखता है।

(ग). प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त सम्पति से बे कब्जा करने धमकी· देता है–या उस सम्पति के बारे मे अन्य कोई क्षति पहुँचाने की धमकी देता है।

Prima Facie Case (प्रथम दृष्टया मामला)

9. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 01 व नियम – 02 के प्रावधान में निहित सिद्वान्त के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान में निहित सिंद्वान्त की विस्तृत विवेचना की है। जिसका प्रासंगिक पैरा का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

> *5. Therefore, the burden is on the plaintiff by evidence aliunde by affidavit or otherwise that there is "a prima facie case" in his favour which needs adjudication at the trial. The existence of the prima facie right and infraction of the enjoyment of his property or the right is a condition for the grant of temporary injunction. Prima facie case is not to be confused with prima facie title which has to be established, on evidence at the trial. Only prima facie case is a substantial question raised, bona fide, which needs*
> *investigation and a decision on merits.*

अन्तर्गत धारा 212 के खण्ड (क) व (ख) मे दी गई दो शर्तों मे एक का पुरा होना अनिवार्य है।

Balance of Convenience (सुविधा का सन्तुलन)

10. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

उपखण्ड अधिकारी
फागी

आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के प्रावधान मे निहित सिद्धांत सुविधा का संतुलन की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *5. (........) The third condition also is that "the balance of convenience" must be in favour of granting injunction. The Courtwhile granting or refusing to grant injunction should exercisesound judicial discretion to find the amount of substantial mischief or injury which is likely to be caused to the parties, if the injunction is refused and compare it with that it is likely to be caused to the other side if the injunction is granted. If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued. Thus the Court has to exercise its sound judicial discretion in granting or refusing the relief of ad interim injunction pending the suit.*

Irreparabale Damage (अपूर्णनीय क्षति)

11. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत अपूर्णनीय क्षति की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *5. (........) Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant injunction. The Court further has to satisfythat non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages.*

Role/Power of Court

12. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4602/2024 उनवान *Bloomberg Television Production vs Zee Entertainment Enterprises Limited* में दिनांक 12.03.2024 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियो (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *The three-fold test of establishing (i) a prima facie case, (ii)balance of convenience and (iii) irreparable loss or harm, for the grant of interim relief, is well-established in the jurisprudence of this Court. This test is equally applicable to the grant of*

उपखण्ड अधिकारी
फागी

interim injunctions in defamation suits. However, this three-fold test must not be applied mechanically,3 to the detriment of the other party and in the case of injunctions against journalistic pieces, often to the detriment of the public. While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyze how the three-fold test is satisfied. A cursory reproduction of the submissions and precedents before the court is not sufficient. The court must explain how the test is satisfied and how the precedents cited apply to the facts of the case.

13. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतो के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद,सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

14. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे साबित होता हो कि उक्त आराजी पैतृक सम्पति नही है एवं प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार निहित नही हो। प्रार्थीगण का हक व हिस्से का निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जाना है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है।

15. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अगर रिकार्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो विवादित आराजी खुर्द – बूर्द व रहन इत्यादित किये जाने का प्रश्न ही नही होता है। अगर उक्त आराजी दौराने वाद खुर्द – बुर्द हो जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है। इसलिये अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होती है।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने अर्थात प्रथम दृष्टया केस, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण खातेदार के विरुद्ध खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
फागी

के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 155, 335, 355, 361, 556, 570, 576/1 कुल किता 07 कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 105 बीघा भूमि वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

9/10/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर